न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 30/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. प्रतापसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी कालन्द्री तहसील सिरोही		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार कालन्द्री

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 7.5.2018

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील संख्या 05/2016 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2016 एवं न्यायालय उप तहसीलदार कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 363/2015 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के विरूद्ध उप तहसीलदार कालन्द्री द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 22.01.2016 को निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया एवं भूमि से भौतिक रूप से बेदखल कर जुर्माना अधिरोपित किया। परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया, किन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित समय नहीं दिया गया, इस पर अपीलाण्ट द्वारा प्रकरण परीक्षण न्यायालय से अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में याचिका दायर की, जिसमें दिनांक 22.01.2016 को माननीय मण्डल द्वारा निर्णय पारित करते हुए परीक्षण न्यायायल को यह निर्देश प्रदान किये कि प्रकरण में दिनांक 08.02.2016 तक अपीलाण्ट द्वारा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने के पश्चात विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाकर दिनांक 22.01.2016 को ही जैर अपील आदेश पारित कर दिया तथा अपीलाण्ट को किसी प्रकार से साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर करवाई गई, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

अपीलाण्ट को किसी भी रूप में साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा न ही माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेशों की पालना की गई। जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पुराना कब्जा है तथा अपीलाण्ट को कभी भी मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से अपीलाण्ट को जिरह करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली से यह कहीं भी साबित नहीं होता है कि अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया हो। जिस फर्द बेदखली के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना है, वह साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त दस्तावेज प्रदर्शित नहीं है तथा न ही तथाकथित फर्द के आधार पर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल किया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को वादस्थ भूमि से बेदखल करने एवं एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम कालन्द्री I के खसरा नम्बर 2197 कुल रकबा 4.25 हेक्टेयर किस्म वरडा की भूमि राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि में से 0.03 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम ग्राम कालन्द्री I के खसरा नम्बर 2197 कुल रकबा 4.25 हेक्टेयर किस्म वरडा की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का कालन्द्री I द्वारा उप तहसीलदार कालन्द्री के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर उप तहसीलदार कालन्द्री द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 15.01.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट की पत्नी से तामील करवाया गया है, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील माना गया। नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर पत्रावली दिनांक 22.01.2016 को नियत की गई। नियत तारीख पेशी को अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा जवाब हेतु अवसर चाहने पर समय नहीं दिया जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व ही अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान के समक्ष प्रकरण को अन्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था, जिसमें माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 22.01.2016 को निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट को यह निर्देश जारी किये गये थे कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

08.02.2016 तक आवश्यक रूप से साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करें। इस अवधि के बाद अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण का अंतिम निस्तारण हेतु स्वतन्त्र है। किन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2016 को ही प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण कर दिया, जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में निर्णय का उल्लंघन है। परीक्षण न्यायालय को यह संज्ञान में था कि अपीलाण्ट द्वारा प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इस स्थिति में परीक्षण न्यायालय को माननीय मण्डल द्वारा निर्णय पारित होने के पश्चात निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जानी थी, जो नहीं की गई। इस कारण परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं है। जिसकी निरन्तरता में विद्वान प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय भी हस्तक्षेप योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील संख्या 05/2016 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2016 एवं न्यायालय उप तहसीलदार कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 363/2015 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ उप तहसीलदार कालन्द्री को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। साथ ही अपीलाण्ट को निर्देश दिये जाते है कि वे परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.05.2018 तक आवश्यक रूप से साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करें। इस अवधि के बाद परीक्षण न्यायालय प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करने हेतु स्वतन्त्र है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7/5/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही